संख्या- 3392 /71-2-11-डबल्यू-64/2007

प्रेषक,

बी0एस0 भुल्लर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर, 2011

विषय- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण।

महोदय,

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1561/16-1-2008-5 (डब्लू-48)/2003, दिनांक 01-5-2008 द्वारा उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली-2008 के तहत व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश दिनांक 27-6-2008 द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल पाठ्यक्रम के फीस निर्धारण हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया गया है:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
2. सचिव/विशेष सचिव, वित्त विभाग
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण, उ0प्र0।

2- उक्त समिति की बैठक दिनांक 23-8-2011 में समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नवत् अनन्तिम शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

क्रमांक	कालेज का नाम	शुल्क (रू0 लाख में)
1	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ	4.07
2	श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली।	4.45
3	रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली।	4.07
4	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर।	4.07
5	रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, कानपुर।	4.07
6	सरस्वती मेडिकल कालेज, हापुड़, गाजियाबाद।	4.07
7	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा	4.07
8	हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी।	4.07
9	कैरियर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।	4.07
10	रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, हापुड़ गाजियाबाद।	4.07
11	मेजर एस0डी0 सिंह मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, फतेहगढ़ फर्रूखाबाद।	4.07

AD(ME)/05 III
15-9-11

3- समिति द्वारा संस्थाओं में संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक सत्र 2011-12 से आगामी तीन वर्षों के लिए अन्तिम शुल्क यथाशीघ्र निर्धारित किया जायेगा। यदि समिति द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित शुल्क उक्त अंतरिम शुल्क से अधिक होगा, तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को शेष धनराशि का भुगतान संस्था को करना होगा और यदि अंतिम रूप से निर्धारित शुल्क उक्त अंतरिम शुल्क से कम होगा तो सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा ली गयी अधिक धनराशि वापस अथवा भविष्य में देय शुल्क में समायोजित करना होगा।

4- कृपया सम्बन्धित मेडिकल कालेजों द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क लिया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एस0 भुल्लर)
प्रमुख सचिव

संख्या- (1)/71-2-11-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
7. समिति के समस्त सदस्यगण।
8. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
9. प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
10. प्रभारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रद्धा मिश्रा)
विशेष सचिव